

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम)/भोजपुर (आरा)।
उप श्रमायुक्त, पटना/गया ।

पटना, दिनांक-

24.7.18

विषय:- राज्य योजना बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 3281 dated- 24-07-18 के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण ((विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 3281 dated- 24-07-18 में राशि किस पत्र के आलोक में निर्गत की गयी है, का उल्लेख संभव नहीं है।

1. CFMS Order No.- 3281 dated- 24-07-2018 से आवंटित की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसमें निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

अनुसूचित जाति के बाल श्रमिकों के लिए- ₹ 3,000/- की दर से-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की संख्या	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग	अभ्युक्ति
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0104.21.01) से ₹ 2300/-राशन एवं ₹ 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0104.21.02) से विमुक्त के समय दवा हेतु- ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/ पथ्य (0104.21.03) से विमुक्त के समय भोजन/ नास्ता हेतु ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	उप श्रमायुक्त, पटना	08	22400	800	800	24000	उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक-1309 दिनांक-16.05.18 के आलोक में
2	उप श्रमायुक्त, गया	25	70000	2500	2500	75000	उप श्रमायुक्त, गया के पत्रांक-660 दिनांक-19.05.18 के आलोक में
कुल योग		33	92400	3300	3300	99000	

कुल आवंटित राशि ₹ 99,000/- (₹ निन्यानवे हजार) मात्र ।

अनुसूचित जाति के बाल श्रमिकों के लिए- जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु ₹ 5000/- मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से -

क्र. सं.	37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3		4	5	6
1	0104.37.01 अनुग्रह अनुदान	रोहतास	जिला पदाधिकारी, रोहतास	06	30000	श्रम अधीक्षक, रोहतास के पत्रांक-176 दिनांक-9.4.18 के आलोक में ।
2	तदैव	भोजपुर	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	03	15000	श्रम अधीक्षक, भोजपुर के पत्रांक-560 दिनांक-2.7.18 के आलोक में ।
कुल योग				09	45000	

कुल आवंटित राशि ₹ 45,000/- (₹ पैतालिस हजार) मात्र ।

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3387 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त आवंटित की गयी है।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर किया जाय। आवंटित राशि को उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिक को प्रदान/लाभांशित किया जाय जिन्हें पूर्व में यह राशि प्रदान नहीं की गयी है।
- आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/18 श्र0सं0-

5774

पटना, दिनांक

24.7.18

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-241 एवं 249 (श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-6.7.18 एवं 12.7.18 के आलोक में/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु /बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा।

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।